कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

पत्रांक 1731 /14-4.अयोध्याःदिनांक 28-11-/2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः- **जनपद अयोध्या में इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लखनऊ-फैजाबाद मार्ग एन0एच0-28 (न्यू0 एन0एच0-27) के कि0मी0 नं0-70 के (चैनेज संख्या 69.562) के बॉयी पटरी पर ग्राम-अशरफपुर गंगरेला गाटा संख्या- 1692 और 1693, तहसील-रूदौली, जिला-अयोध्या में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.151236 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक-1560/14-4, दिनांक-16.11.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/93/2019/ एफ0सी0 /383, दिनांक-25.10.2019 एवं मुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-860/11-सी-**FP/UP/Others/41410/2019,** लखनऊ, दिनांक-31.10.2019 के अनुसार बिन्दु संख्या-2 में दिये गये निर्देशानुसार अवनत वन भूमि पर (0.151236×2 = 0.302472 हे0.@ 1000) कुल 302 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु वॉछित धनराशि रूपया-78898.00 एवं बिन्दु संख्या-3 में दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की वॉछित धनराशि रू0 121442.50 उ0प्र0 कैम्पा को ई-पेमेन्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक-एफ0 नं011-100/2015-एफ0सी0 (Vol.iii) दिनांक-16.10.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0 प्र0 कैम्पा, लखनऊ का पत्रांक-591/2-37-2 दिनांक-18.10.2018 तथा आज तक निर्गत आदेशों/निर्देशों के अनुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1560/14-4 दिनांक-16.11.2019 द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक, रिटेल सेल्स गोरखपुर, मण्डल कार्यालय, **इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गोरखपुर** को पत्र प्रेषित किया गया था जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित की गयी थी के साथ क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है।

अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनोज कुमार खरे)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग अयोध्या

जनपद अयोध्या में इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा लखनऊ–फैजाबाद रोड एन0एच0–28 (न्यू एन0एच0–27) किमी0 नं0 70 के (चैनेज सं0 69.562) के बॉयी पटरी पर ग्राम अशरफपुर गंगरेला, गाटा सं0–1692 व 1693, तहसील–रूदौली, जिला–अयोध्या (फैजाबाद) उत्तर प्रदेश प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित 0.151236 हे0 संरक्षित वन भूमि में गैर वानिकी कार्य करने के फलस्वरूप रूदौली रेंज के अन्तर्गत कुशहरी वन ब्लाक में 0.302472 हे0 अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

कम सं0	चरण	वर्ष 2017 में लागू अनुसूचित दर के आधार पर .	यदि कार्य 2019–20 में प्रारम्भ किया जाता है तो भविष्य में न्यूनतम वृद्धि 05 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढोत्तरी की धनराशि	वृद्धि 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढोत्तरी सहित कुल धनराशि
1	प्रथम चाण–अग्रिम मृदा कार्य	6233.20	0.00	6233.20
2	द्वितीय चरण–वृक्षारोपण कार्य	27917.84	1396.00	29313.84
3	तृतीय चरण–प्रथम अनुरक्षण	3120.75	312.10	3432.85
4	चतुर्थ चरण द्वितीय अनुरक्षण	3120.75	468.15	3588.90
5	पंचम चरण तृतीय अनुरक्षण	3120.75	624.20	3744.95
6	षष्टम चरण चतुर्थ अनुरक्षण	3120.75	780.25	3901.00
7	सप्तम चरण पंचम अनुरक्षण	3120.75	936.30	4057.05
8	अष्टम चरण छठा अनुरक्षण	3120.75	1092.35	4231.10
9	नवम चरण सातवॉ अनुरक्षण	3120.75	1248.40	4369.15
10	दशम चरण अठवॉ अनुरक्षण	3120.75	1404.45	4525.20
11	ग्यारहवॉ चरण नवॉ अनुरक्षण	3120.75	1560.50	4681.25
12	बारहवॉ चरण दशवॉ अनुरक्षण	3120.75	1716.55	4837.30
	योग–	67358.54	11539.25	78897.79
	या			रू 78898

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या